

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.14(4)/शिक्षा-1/करौली/2014- पार्ट

जयपुर, दिनांक: 4/7/17

--:संशोधित आदेश:--

जिला करौली के एकीकरण के संबंध में, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.04.2017 में वर्णित (0-15नामांकन) राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन" सारिणी 19सी एवं 20सी के क्रम संख्या-2 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त सारिणी के कॉलम संख्या-6 में, रा.उ.प्रा.वि.,कैलादेवी,जिला-करौली के स्थान पर रा.बा. उ.प्रा.वि. कैलादेवी, जिला-करौली पढा जावें।

उक्त संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आज्ञा से,




(आर एस झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), शिक्षा विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
11. संभागीय आयुक्त।
12. जिला कलक्टर।
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा ग्रुप-2, 5, 6
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)
विशेष अधिकारी